भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3382
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

मेगा फूड पार्क और एपीसी योजनाओं का कार्यान्वयन

3382. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन, किसानों की आय में वृद्धि करने, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का विकास करने और ग्रामीण रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से मेगा फूड पार्क और कृषि-प्रसंस्करण समूहों (एपीसी) योजनाएं कार्यान्वित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्कों और कृषिप्रसंस्करण समूहों को संस्वीकृत किया गया है अथवा शुरू किया गया है और उक्त पार्कों और समूहों से लाभान्वित किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों की संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा मेगा फूड पार्कों और समूहों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शीत श्रृंखला और संभारतंत्र, निर्यात अवसंरचना, आसान ऋण और पूंजीगत सहायता तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अतिरिक्त कदम या संशोधित दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" की घटक योजनाएं हैं। एमएफपी और एपीसी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करना, मूल्य वर्धन में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित रोजगार सृजित करने के लिए खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। मेगा फूड पार्क योजना एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाती है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) और संग्रह केंद्रों के साथ-साथ वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और पैकेजिंग सुविधाओं जैसे सामान्य अवसंरचना द्वारा समर्थित एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना के लिए प्रावधान करती है। इसी तरह, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक क्लस्टर-आधारित तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधुनिक अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का विकास करना है। जबकि एपीसी योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखा गया था, एमएफपी योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया था।
मेगा फूड पार्क्स योजना के अंतर्गत देशभर में 41 मेगा फूड पार्कों को अनुमोदित किया गया है, इसी तरह कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के अंतर्गत 63 एपीसी को अनुमोदित किया गया है। जिनमें से पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 एमएफपी और 19 एपीसी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य

प्रदेश राज्य में किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है। तथापि, मंत्रालय ने योजनाओं के प्रारम्भ से मध्य प्रदेश राज्य में एमएफपी योजना के अंतर्गत 2 परियोजनाओं और एपीसी योजना के अंतर्गत 3 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुमोदित एमएफपी और एपीसी परियोजनाओं सहित लाभान्वित किसान और एमएफपी और एपीसी में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

सरकार ने मध्य प्रदेश सहित मेगा फूड पार्कों और समूहों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से आसान ऋण और पूंजी सहायता में वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए हैं। अनुमोदित एमएफपी और एपीसी को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से भरने के लिए, एमएफपी और एपीसी के अंदर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत जारी की गई है और मेगा फूड पार्कों (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण समूहों (एपीसी) के अंदर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कुछ प्रतिशत निधि विशेष रूप से निर्धारित की गई है। इसके अलावा मेगा फूड पार्कों, एपीसी और पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपये का विशेष कोष भी बनाया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "मेगा फूड पार्क और एपीसी योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3382 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मध्य प्रदेश राज्य में अनुमोदित एमएफपी और एपीसी परियोजनाओं का विवरण:

एमएफपी अनुमोदित परियोजनाएं

क्र. स.	एसपीवी / आईए नाम	जिला	राज्य	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रु. में)	जारी अनुदान (करोड़ रु. में)	स्थिति	लाभांवित्त किसान/ लाभांवित्त होने की उम्मीद	एमएसएमई सहित एफपीइकाइयों की संख्या
1	इंडस मेगा फूड पार्क प्रा. लि	खरगोन	मध्य प्रदेश	27.08.2012	131.28	49.37	49.37	प्रचालनरत	400	4
2	अवंति मेगा फूड पार्क प्रा. लि	देवास	मध्य प्रदेश	31.12.2015	146.07	50	40	प्रचालनरत	2000	4

एपीसी अनुमोदित परियोजनाएं:

क्र. स.	परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) का नाम	जिला	राज्य	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रु. में)	जारी अनुदान (करोड़ रु. में)	स्थिति	लाभांवित्त किसान/ लाभांवित्त होने की उम्मीद	एमएसएमई सहित एफपीइकाइयों की संख्या
1	मेसर्स निमार एग्रो पार्क	बरवानी	मध्य प्रदेश	08.06.2018	31.55	10	7.15	प्रचालनरत	4000	2
2	मेसर्स भारती एग्रो क्लस्टर	बेतुल	मध्य प्रदेश	19.12.2018	26.13	9.8	6.93	प्रचालनरत	1200	5
3	मेसर्स प्रशुन फूड्स प्रा. लि	धार	मध्य प्रदेश	24.12.2020	23.6	9.86	6.65	कार्यान्वयनाधीन	4000	-